Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जिला बून्दी में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम गरडदा पंचायत समिति बून्दी को 50,000/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 15 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई बून्दी द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी **मुकेश कुमार पुत्र श्री रामरतन जाति बैरवा उम्र 30 साल निवासी ग्राम जयस्थल थाना गेण्डोली जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गरडदा पंचायत समिति बून्दी** द्वारा परिवादी की फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा में पनघट का कार्य किया गया था उक्त कार्य का भुगतान करने की एवज में आरोपी को **50,000/— हजार रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बून्दी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी मुकेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम गरडदा पंचायत समिति बून्दी जिला बून्दी द्वारा परिवादी की फर्म तरू एंड कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत गरडदा पंचायत समिति बून्दी में पनघट का कार्य करने के लगभग 15 लाख रूपये के कार्यो के भुगतान की एवज में परिवादी से 30 प्रतिशत जो कि लगभग **4.50 लाख रूपये** होता है, रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. बून्दी के अधिकारी **उप पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमचन्द** के नेतृत्व में आज मय ट्रेप टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी मुकेश कुमार को परिवादी से 50,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि आरोपी के किराये के मकान के बाहर परिवादी से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखी तथा एसीबी टीम को देखकर जेब से निकाल कर रोड पर गिरा दिये थे।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस परिमला के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135—02834 पर 24X7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।